

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-16/2011

/कृ०, पटना, दिनांक

अप्रैल, 2015.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०सं०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री एस० के० वर्मा,
मेसर्स फ्रंटियर एजेन्सीज प्रा० लि
खसरा नं०-1319, खाता नं०-361,
मौजा पहाड़ी, मसौढ़ी रोड, पटना।

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 31 दिनांक 18.08.2011 का नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन, कोषागार चालान एवं अन्य संगत कागजातों एवं उप निदेशक(पौ० सं०), पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत मेसर्स ई० आई० डू पौन्ड (ई०) प्रा० लि० द्वारा निर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों से संबंधित बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 31 दिनांक 18.08.2011 का उनके विनिर्माण एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैधता तिथि 31.12.2015 तक के लिए नवीकृत किया जाता है।

| क्र० | कीटनाशी का नाम |
|------|-------------------------------------|
| 1 | Acetamiprid 20% SP |
| 2 | Chlorantraniliprole 18.5% w/w SC |
| 3 | Chlorantraniliprole 0.4% GR% w/w SC |
| 4 | Copper Hydroxide 77% WP |
| 5 | Famoxadone 16.6%+Cymoxanil 22.1% SC |
| 6 | Indoxacarb 15.8% EC |
| 7 | Picoxystrobin 22.52% SC |

2-उपरोक्त कीटनाशी का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, में विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भण्डार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स फ्रंटियर एजेन्सीज प्रा० लि० खसरा नं०-1319, खाता नं०-361, मौजा पहाड़ी, मसौढ़ी रोड, पटना।

3- यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4- अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6- अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7- नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

8- अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेंट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 31 दिनांक 18.08.2011 मूल रूप में संलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2253

/कृ0, पटना, दिनांक ...16... अप्रैल 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।